बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

Sanjay Gandhi Biological Park, Patna

निविदा सूचना
सं० 01/2023–24

1. विभाग का नाम : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र के बिक्री की अंतिम तिथि एवं समयः : 16–05–2023 को 5.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 17–05–2023 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 17–05–2023 को 3.00 बजे अपराह्न।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 के निकट नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु बन्दोबस्ती।	रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये)	एक वर्ष के कुल मासिक रेंट की बीस प्रतिशत राशि।	रू० 2000/ (रूपये दो हजार) प्रति।	01–06–2023 से 31–05–2026 (तीन वर्ष)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 के निकट नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु निविदा शर्तें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 के निकट नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के पदनाम से दिनांक 17–05–2023 के 2.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 के निकट नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु बन्दोबस्ती।	रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये)	एक वर्ष के कुल मासिक रेंट की बीस प्रतिशत राशि।	रू० 2000/ (रूपये दो हजार) प्रति।	01–06–2023 से 31–05–2026 (तीन वर्ष)

2. निविदाकर्त्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा समर्पित करने से पूर्व वे स्थल का निरीक्षण स्वंय कर लें।

3. निविदा के निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों की प्रति निदेशक के कार्यालय से रूपये 2000/– (दो हजार) प्रति की दर से दिनांक 16–05–2023 के 5.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित करते हैं, उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में रू० 2000/– (दो हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट **तकनीकी बिड** के साथ संलग्न करना होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय होगा।

4. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफे में समर्पित करेंगे तथा उसपर तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड जो भी हो, लिखेंगे तथा उसे सीलबंद कर अपना नाम, पता लिखेंगे। पुनः उन दोनों लिफाफों (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) को एक मुख्य बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर उसपर भी अपना नाम, पता अवश्यक लिखेंगे। निविदाकर्त्ता मुख्य बड़े लिफाफे पर "बम्बू हट एवं भूंजा हट के लिए निविदा" अवश्य अंकित करेंगे और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित समय सीमा (17–05–2023 के 2.00 बजे अपराह्न तक) के भीतर निविदा बक्सा में डालेंगे।

5. प्राप्त निविदायें दिनांक 17–05–2023 को अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकर्त्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्त्ताओं का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्त्ता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा। अपरिहार्य कारणवश निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सुरक्षित रहेगा।

6. निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ रूपये 50,000/– (रू० पचास हजार) की सत्यंकार राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये। तकनीकी बिड के साथ सत्यंकार राशि नहीं रहने पर निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

7. निविदाकर्त्ता को पैन/टैन का निबंधन होना आवश्यक है। वे अपनी तकनीकी बिड के साथ **विगत दो वर्षों (वर्ष 2020–21 एवं 2021–22) का आयकर रिटर्न** का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

कृ०पृ०उ०

8. निविदाकर्त्ता को G.S.T. का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ G.S.T. निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

9. निविदाकर्त्ता को उद्यम का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ उद्यम के निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

10. निविदाकर्त्ता को FSSAI से निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।

11. संबंधित व्यक्ति/एजेंसी, उद्योग विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत होना चाहिए तथा Make in Bihar brand को इस हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

12. निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित कागजातों को समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(I) निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रमाण (रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)।

(II) यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में रू० 2000/– (दो हजार रूपये) का निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय मूल डिमांड ड्राफ्ट।

(III) निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय सत्यंकार राशि के रूप में रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का मूल डिमांड ड्राफ्ट।

(IV) पैन/टैन के निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। विगत दो वर्षों (वर्ष 2019–20 एवं 2020–21) का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)

(V) G.S.T. से निबंधन का स्वहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(VI) उद्यम के निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(VII) FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(VIII) उद्योग विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र।

(IX) फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।

(X) पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(XI) राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।

(XII) नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

(XIII) नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः– *(1) निविदा खोलने के समय स्वःहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदाकर्त्ता को दिखाना होगा अन्यथा तकनीकी बिड को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।*

(2) कम्पनी/एजेंसी के नाम पर निविदा समर्पित किए जाने की स्थिति में सभी दस्तावेज कम्पनी/एजेंसी के होने चाहिए। व्यक्ति विशेष द्वारा निविदा समर्पित किए जाने की स्थिति में सभी दस्तावेज संबंधित व्यक्ति के होने चाहिए।

13. निविदाकर्त्ता **वित्तीय बिड** के प्रपत्र में प्रतिमाह उद्यान को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ–साफ लिखेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितिवश निविदाकर्त्ता द्वारा राशि को बदला जाता है तो पूर्व में अंकित राशि को हस्ताक्षर सहित पेन (कलम) से एक बार में काटकर पुनः साफ–साफ अंक एवं शब्द में लिख सकते हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

14. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रू० 1000/– (एक हजार रूपये) के नन्–जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वंय लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।

15. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में निविदा राशि की एक वर्ष की राशि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि जमा करनी होगी जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर०/टी०डी०आर० के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए। जमानत राशि के रूप में बैंक गारंटी मान्य नहीं होगा।

16. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही बम्बू हट एवं भूंजा हट के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय (एक सप्ताह के भीतर) तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन/सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी तथा निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि भविष्य में उद्यान के किसी भी निविदा में भाग लेने से उन्हें वंचित कर दें।

17. निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह का रेंट अगले माह के 10 तारीख तक अग्रिम रूप में भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 10 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना होगा। दो माह तक लगातार किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में सफल निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि/जमानत राशि को राज्यसात करने तथा निविदाकर्त्ता को कृष्णचिन्हित करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि सफल निविदाकर्त्ता (संचालक) के विरूद्ध सरकार का कोई बकाया रह जाता है तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्णय से होने वाले क्षति की जिम्मेवारी सफल निविदाकर्त्ता (संचालक) की होगी।

18. सफल निविदाकर्त्ता, निविदा अवधि (तीन वर्ष) के बीच में बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द कराने अथवा बम्बू हट एवं भूंजा हट का संचालन करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। यदि सफल निविदाकर्त्ता/संचालक द्वारा किसी अन्य कारणवश आवंटन रद्द कराने तथा संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक के लिए बाध्यकारी होगा।

19. संचालक, बम्बू हट में केवल चाय, नारियल पानी एवं मटका कुल्फी (केवल गर्मी के दिनों में) तथा भूंजा हट में विभिन्न प्रकार के भूंजा की बिक्री उद्यान में दर्शकों के लिए निर्धारित दर्शन अवधि में ही करेंगे। इसके अलावे किसी भी पेय पदार्थ अथवा किसी भी सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे। बिक्री की जाने वाली चाय तथा नारियल पानी के दर का निर्धारण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा सामग्री की गुणवत्ता तथा बाजार दर को देखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

20. आवंटित बम्बू हट एवं भूंजा हट के अतिरिक्त किसी भी आसपास के स्थल का उपयोग संचालक को नहीं करना होगा।

21. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र है। अतः संचालक (सफल निविदाकर्त्ता), ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति के लिए पॉलीथीन, थर्मोकोल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे।

कृ०पृ०उ०

22. बम्बू हट एवं भूंजा हट में बदलाव, मरम्मती, पुनर्निर्माण या अन्य कारणों से संवेदक (संचालक) को एक माह के नोटिस पर इसे बंद करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक को बंद अवधि का रेंट नहीं देना होगा।

23. प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है। अतः संचालक को प्रत्येक सोमवार को बम्बू हट तथा भूंजा हट को बंद रखना होगा। इसके अतिरिक्ति विशेष परिस्थितिवश यदि उद्यान बंद किया जाता है तो बिना किसी हर्जाना के संचालक को बम्बू हट एवं भूंजा हट बंद रखना होगा। इस बंदी की अवधि के लिए सफल निविदाकर्त्ता (संचालक) को रेंट की पूरी राशि जमा करनी होगी।

24. संचालक को कोविड–19 संक्रमण के संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय/राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।

25. **संचालक को चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल ओवेन (electrical /Induction oven) की अनुमति होगी। परन्तु इसकी भी बिक्री कागज के ग्लास/मिट्टी के कुल्हड़ में करनी होगी।**

26. संचालक को बम्बू हट में किए गए बिजली खपत का भुगतान एच.टी. कनेक्शन के दर के अनुरूप अलग से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी जिसके लिए संचालक स्वंय जिम्मेवार होंगे। बिजली खपत का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से **केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में** 'साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के नाम में करना होगा।

27. संचालक (सफल निविदाकर्त्ता) को बम्बू हटएवं भूंजा हट परिसर तथा उसके आस–पास के स्थल को साफ–सुथरा (**स्वच्छ एवं स्वस्थ**) तथा **बदबूरहित** रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक दंड के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं संचालक को मान्य होगा। न्यूनतम आर्थिक दंड रू० 5000/– (पाँच हजार) होगी।

28. संचालक (सफल निविदाकर्त्ता) बम्बू हट एवं भूंजा हट के काउन्टर पर **सूची दर** लगायेंगे जिसमें सामग्री का नाम, उसका आकार एवं मात्रा तथा दर अंकित रहेगा। साथ ही उसपर उद्यान के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर एवं निदेशक कार्यालय का दूरभाष नम्बर, ई–मेल सहित, ग्राहकों/दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जायेगा।

29. सफल निविदाकर्त्ता अधिकतम 04 (चार) व्यक्तियों को बम्बू हट एवं भूंजा हट के काउन्टरों के संचालन एवं ग्राहकों को सामग्री देने, साफ–सफाई हेतु रख सकते हैं। सफल निविदाकर्त्ता, उन सभी व्यक्तियों का, जो उनके द्वारा रखे जायेंगे, उनका पूरा पता, फोटो सहित पहचान–पत्र दो प्रतियों में, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे तथा **उनकी पहचान के लिए सफल निविदाकर्त्ता अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे** जिसपर उनका नेमप्लेट लगा रहेगा। बिना वर्दी के उनके किसी भी कर्मी को उद्यान के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

30. सभी वैधानिक करों यथा आयकर, सेवा कर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं के भुगतान जिम्मेवारी संचालक की होगी।

31. उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांस, मछली एवं मदिरा का सेवन संचालक अथवा उनके कर्मियों के द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसा पाये जाने पर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा की जायेगी।

कृ०पृ०उ०

32. काउन्टर, बम्बू हट, भूंजा हट में, उसके आसपास के परिसर अथवा उद्यान के किसी भी स्थल पर किसी कम्पनी इत्यादि का प्रचार सामग्री लगाना या बढ़ावा देना वर्जित होगा। ग्राहकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना संचालक तथा उनके कर्मियों का प्रथम कर्त्तव्य होगा। वे उद्यान के नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं करेंगे।

33. संचालक (सफल निविदाकर्त्ता) को उनके खर्च पर कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा जिसकी सफाई प्रत्येक दिन दर्शन अवधि के उपरान्त संध्या में करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में एक दिन का कूड़ा, अगले दिन के दर्शन अवधि शुरू होने तक नहीं रखना होगा। कूड़ा–कचरा को नाली में नहीं फेंकना होगा।

34. निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को बम्बू हट पर बेचे जा रहे सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता, दर, ग्राहकों के साथ व्यवहार, डिस्पोजिबुल प्लेट / ग्लास (disposable plates/glass) की उपयोगिता की स्थिति, परिसर की स्वच्छता का औचक निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है।

35. यदि संचालक (सफल निविदाकर्त्ता) द्वारा उपरोक्त शर्त्तों के किसी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में आवश्यक जाँचोपरान्त संचालक (सफल निविदाकर्त्ता) को नोटिस देकर निविदा / एग्रीमेंट को रद्द करने, जमानत / प्रतिभूति राशि को राज्यसात करने तथा काउन्टर्स को बंद कराने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सुरक्षित रहेगा।

36. निविदा की सामान्य अवधि 01–06–2023 से 31–05–2026 (तीन वर्ष) है, परन्तु अत्यंत विशेष परिस्थिति में निविदाकर्ता के संतोषप्रद संचालन को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति से अधिकतम तीन माह तक अवधि विस्तार किया जा सकता है।

37. किसी भी विवाद का निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

38. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक।

दिनांक 01—06—2023 से 31—05—2026 (तीन वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के के गेट न० 1 के निकट नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन।

<u>तकनीकी बिड</u>

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 2000/— (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट।	
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 50,000/—(रूपये पचास हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।	
3	पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्त्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2019—20 एवं 2020—21) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
4	G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
5	उद्यम से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
6	FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
7	उद्योग विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत होने का प्रमाण—पत्र।	
8	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार—पत्र की मूलप्रति।	
9	पहचान—पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण—पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।	
10	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।	
11	नोटरी का मूल शपथ—पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।	
12	नोटरी का मूल शपथ—पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।	

नोटः— मांगी गई सभी प्रपत्र का विवरण क्रमवार एवं पृष्ट सं० के साथ अवश्य अंकित करें।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पता

दिनांक 01–06–2023 से 31–05–2026 (तीन वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के के गेट न० 1 के निकट नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन।

वित्तीय बिड

प्रेषक,

नामः–
पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–
दूरभाष / मोबाईल संख्या–

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना गेट न० 1 पर नवनिर्मित बम्बू हट तथा बम्बू से नवनिर्मित भूंजा हट का संचालन दिनांक 01–06–2023 से 31–05–2026 (तीन वर्ष) तक संचालन के लिए मैं रूपये.......................... (अंक में) (रूपये...) (शब्द में) **प्रतिमाह** का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2– उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3– यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 15 के अनुसार एक वर्ष के रेंट (किराया) की राशि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि प्रतिभूति / जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

4– मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा / पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,